FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

शांति देवी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा

स मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मु.न. 826 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री लक्ष्मीनारायण मीना द्वारा वास्ते पत्थरगढी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को सम्मन जरिये स्पीड पोस्ट डाक वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। तहसीलदार बैजूपाडा को प्रकरण के संदर्भ में मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार एव तलबी दिनांक 23.1.2026 को पेश हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	[illegible]
23.01.26	अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20.02.26 को पेश हो। [illegible]	
20-2-26	अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24-02-26 को पेश हो। [illegible]	
24.2.26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बैजूपाडा से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट ~~अ~~ प्राप्त। वकील प्रार्थी ने प्र.पत्र धारा 128 LR Act पर बहस हेतु निवेदन किया एवं प्र.पत्र को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। प्र.पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का, तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। प्रार्थिया का प्र.पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	शाँति देवी ....बनाम.......... राजस्थान सरकार मु.नं.– किस्म –
	पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
826/2025	14.11.2025	24.02.2026

बउनवान

1. शांति देवी पत्नी सियाराम, निवासी अलियापाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

.. **प्रार्थी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा, जिला दौसा।

..**अप्रार्थी**

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री लक्ष्मीनारायण मीना।
2. अप्रार्थी – तहसीलदार बैजूपाडा।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थिया की खातेदारी की विवादित आराजीयात खतौनी संख्या 329 के खसरा सं. 117, 128, 129, 130, 131, 2645/118 2646/118 कुल किता 7 कुल रकबा 2.01 हैक्टे. ग्राम नांगल पटवार हल्का लोटवाडा, भू.अ.नि. बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है जो प्रार्थिया के कब्जे काश्त ममलूका मकबूजा खातेदारी की भूमि है। विवादित आराजीयात को प्रार्थिया अर्से दराज से काश्त कर मुफीद होती चली आ रही है। विवादित आराजीयात के पडौसी काश्तकारान जो कि प्रार्थिया की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थिया की भूमि को दबाने की कोशिश में लगे रहते है, आये दिन खेती के मध्य बनी हुयी डोल/मेड को तोड़ते रहते है जिससे आये दिन झगडा फिसाद होते रहते है। संगीन वारदात पैदा होने की सम्भावना पैदा हो जाती है। प्रार्थिया पडोसी काश्तकारान से मुकाबला करने में असमर्थ है। इसलिये प्रार्थिया ने अप्रार्थी के यहां दिनांक 02.05.2022 प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी पालना में दिनांक 14.05.2022 को हल्का पटवारी, राजस्व अधिकारीयो के द्वारा सीमाज्ञान करवा लिया था लेकिन फिर भी पडौसी काश्तकारान प्रार्थी को आये दिन हैरान परेशान करते रहते है। विवादित आराजीयात की जब तक पत्थरगढी व तारबंदी नही हो जाती, तब तक पडौसी काश्तकारान प्रार्थी को आये दिन परेशान करते रहते है। इसलिये हल्का पटवारी, राजस्व अधिकारी ने आराजी खसरा सं. 117, 118, 128, 129, 130, 131 के मौके पर पहुँच कर मुताबिक नक्शा शीट व मौका मिलान किया गया। मुस्तकील बिन्दू आराजी खसरा सं. 122 गै. मु. चाह, खसरा सं. 28 गै. मु. चाह से जरीब चलाकर लगाये सीमा चिन्हो को मौके पर उपस्थित सम्बन्धित खातेदार को बताये गये समस्त भुजाओ का सीमाज्ञान किया

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

गया। अब प्रार्थी उक्त विवादित आराजीयात की भूमि पर पत्थरगढी व तारबंदी के आदेश न्यायालय हाजा से प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रार्थिया पडोसी काश्तकारान के अनुचित हस्तक्षेप से परेशान है। प्रार्थिया अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.05.2022 के आधार पर पत्थरगढी व तारबंदी कर उक्त सीमा विवाद का स्थायी समाधान चाहते है ताकि आये दिन होने वाले झगडो से मुक्ति मिल सकें। दिनांक 10.12.2025 को प्रार्थी ने अप्रार्थी के यहां अपनी भूमि की पत्थरगढी व तारबंदी करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया तो अप्रार्थी ने लेने से मना कर दिया व कहा कि न्यायालय से आदेश लेकर आओ। तब आपकी भूमि की पत्थरगढी व तारबंदी करेंगे। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः निवेदन है कि उक्त विवादित आराजीयात की मौके पर सीमाज्ञान दिनांक 14.05.2022 के अनुसार मौके पर निशानात कायम कर पत्थरगढी व तारबंदी किये जाने के लिये अप्रार्थी को आदेशित फरमाया जावें, मय पर्याप्त पुलिस इमदाद की सहायता के आदेश जारी किये जावे।

2. प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 18.02.2026 प्रस्तुत की कि प्रार्थी के प्रार्थना में वर्णित ग्राम नांगल के आराजी खसरा सं. 117, 128, 129, 130, 131, 2645/118, 2646/118, कुल किला 07, रकबा 2.01 हैक्टे. भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड शांति देवी पत्नी सीयाराम जाति मीना सा. अलियापाडा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजीयात का प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.05.2022 को सीमाज्ञान करवा लिया गया है। विवादित आराजीयात पर वादी खातेदार का कब्जा काश्त है। उपरोक्त आराजीयात पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

3. पत्रावली, तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट, विवादित आराजीयात की प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार, ग्राम नांगल, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 117, 128, 129, 130, 131, 2645/118, 2646/118 की प्रार्थिया दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थिया की उक्त आराजीयात का दिनांक 14.05.2022 को तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त है।

4. प्रार्थिया अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

5. प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम नांगल पटवार हल्का लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 117, 128, 129, 130, 131, 2645/118 कुल रकबा 1.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

99 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थिया के उक्त खसरों की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक बैजूपाडा को 1500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थिया की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थिया मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थिया की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक बैजूपाडा मौके पर उपस्थित प्रार्थिया एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 24.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)